न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/448
मुकदमा नम्बर 159/2024 दर्ज दिनांक– 30.09.2024

1. बजरंगलाल पुत्र गोपालराम जाति नाई
2. पवन कुमार पुत्र हणमानाराम जाति नाई
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र बोदूराम जाति अहीर
4. बाबूलाल पुत्र बोदूराम जाति अहीर, निवासीगण ग्राम बसावा तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री सज्जन चाहर
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 22.04.2025

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम बसावा पटवार हल्का बसावा की सरहद में जमीन खाता सं. नया 237 पुराना 220 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1696/1655,1697/1655,1698/870,1699/870 रकबा क्रमशः 0.0600, 0.0100, 0.0150, 0.0250 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.1100 है0 स्थित है तथा इसी ग्राम में खाता सं. 198, पुराना 167 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1431/869 रकबा 0.2600 है0, खसरा नं. 1656/926 रकबा 0.1850 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4450 है0 भूमि स्थित है तथा इसी ग्राम में भूमि खाता सं. नया 434 पुराना 167 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1692/926 रकबा 0.0159 है0,खसरा नं. 1693/926 रकबा 0.0016 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0175 है0 स्थित है तथा इसी ग्राम में भूमि खाता सं. नया 253 पुराना 226 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1688/926 रकबा 0.0175 है0, खसरा नं. 1698/870 रकबा 0.0100 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0275 है0 स्थित है। उक्त सम्पूर्ण खसरे वादीगण के ही है जिसके बीच में से खसरा नं. 922 डाल दिये गये जबकि 922 का रकबा 0.12 है0 खाता सं. 519 में ही दर्ज होना चाहिए था। वादीगण के खसरा नं. 922 खसरा नं. गलत दर्ज कर दिया

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

नजरी नक्शे मे ए बिन्दू से बी बिन्दू तक खसरा नं. 922 का रकबा 0.040 है0 भूमि जो वादीगण के कब्जे काश्त में है मौके पर वादीगण का ही कब्जा है। उक्त 400 वर्ग मीटर को को निम्नानुसार रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें।

खाता सं. नया 252 जिसके पुराना खाता सं. 226 खसरा नं. 1688/926 रकबा 0.0175 है0 में 0.0025 है0 जोडकर राजस्व रिकार्ड में 0.0200 है0 दर्ज किया जावे। इसी अनुसार खसरा नं. 1689/870 रकबा 0.0100 है0 में 0.0025 जोडकर राजस्व रिकार्ड में खसरा नं. 1689/870 को 0.0125 है0 दर्ज किया जावे। इसी अनुसार ग्राम बसावा खाता सं. नया 434 पुराना 167 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1692/926 रकबा 0.0159 है0 में 0.0025 जोडकर 0.0184 है0 दर्ज किया जावें व खसरा नं. 1693/926 में रकबा 0.0016 है0 में 0.0025 है0 जोडकर रकबा 0.0031 है0 दर्ज किया जावे। ग्राम बसावा में खाता सं. 237 पुराना खाता सं. 220 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1696/1655 रकबा 0.0600 है0 में 0.0050 है0 रकबा जोडकर रिकॉर्ड में 0.0650 है0 दर्ज किया जावे। खसरा नं. 1698/870 रकबा 0.0150 है में 0.0200 है0 दर्ज किया जावे। खसरा नं. 1697/1655 रकबा 0.0100 है0 में 0.00150 है0 जोडकर रिकॉर्ड में खसरा नं. 1697/1655 रकबा 0.0250 है0 दर्ज किया जावे। ग्राम बसावा में खाता सं. नया 198 पुराना 167 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1431/669 रकबा 0.2600 है0 व खसरा नं. 1656/926 रकबा 0.1850 है0 में रकबा 0.0050 है0 जोडकर रकबा 0.1900 है0 दर्ज किया जावे व नजरी नक्शे मे ए से बी बिन्दु तक लाईन हटाई जाकर रिकॉर्ड नक्शा दुरूस्त किया जावे व खसरा नं. 922 रकबा 0.12 है0 भूमि में से 0.04 है0 भूमि घटाकर खसरा नं. 922 में 0. 08 है0 भूमि दर्ज की जावे।

उक्तानुसार प्रा. पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक तहसीलदार नवलगढ की जारी की गई। तहसीलदार नवलगढ की और से पैरो. राज. उपस्थित हो तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश निम्न प्रकार से पेश की गई।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड बसावा के भूमि खसरा नं. 1698/870, 1099/870, 1697/1655, 1696/1655, किता 4 रकबा 0.11 है0 की खातेदारी बजरंगलाल चौहान पुत्र गोपालराम चौहान जाति नाई से दर्ज रिकार्ड है जो वादी सं. 1 है। खसरा ंन. 1431/869, 1556/929 रकबा 0.4450 है0 की खातेदारी पवन पुत्र हनुमान जाति नाई के नाम दर्ज रिकार्ड है जो वादी सं. 2 है। भूमि खसरा ंन. 1688/926, 1689/870 रकबा 0.0275 है0 की खातेदारी बाबुलाल पुत्र बोदूराम जाति अहीर के नाम से दर्ज रिकार्ड है जो वादी सं. 4 है। खसरा नं. 926 रकबा 0.0175 है0 की खातेदारी राजेन्द्र पुत्र बोदूराम जाति अहीर के नाम दर्ज रिकार्ड जो वादी सं. 3 है। मुख्य डामर सडक से खसरा नं. 1698/870, 1689/870, 1658/870 तथा खसरा नं. 1697/1655, 1696/1655, 1688/926, 1656/926 के मध्य से रास्ते के रूप में एक खसरा नं. 922 रकबा 0.12 है0 का राजस्व नक्शे में स्थित है। जो भूमि खसरा नं. 871 व 926 के मध्य होता हुआ भूमि खसरा नं. 871 की उत्तरी सीमा एवम् 874 की दक्षिणी सीमा तक राजस्व नक्शे में अंकन है। ग्राम बसावा का भूमि खसरा नं. 922 रकबा 0.12

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

है0 की खातेदारी सयुक्त खातेदारी है जिनकी जाति अहीर है। वर्तमान मौका स्थिति में यह रास्ता के रूप में दर्ज खसरा नं. के आंशिक भूमि भाग पर वादी सं. 1 से 4 काबिज है। खसरा नं. 922 के भू भाग पर खसरा नं. 871,923, 921 के खातेदार काबिज है। भूमि खसरा नं. 922 के भू भाग पर रकबा 0.04 है0 पर वादीगण 1 से 4 पर काबिज इसी खसरा नं. भू भाग पर रकबा 0.08 है0 पर खसरा नं. 923,871,921 के खातेदार काबिज है। भूमि खसरा नं. 1699/870, 1698/870 जिसकी खातेदारी वादी सं. एक के नाम दर्ज है इस खसरा नं. उत्तरी सीमा पर एक रास्ता आवागमन हेतु छोड रखा है जो मौके पर चालु अवस्था मे हैं अतः रिकार्ड में एंवम् मौके पर जॉच रिपोर्ट पेश है।

आवेदकगण द्वार संयुक्त रूप से एक प्रा. पत्र इस कदर पेश किया कि, नजरी नक्शा मार्क ए से बी तक खसरा नं. 922 रकबा 0.04 है0 दर्शित है उसको नजरी नक्शा मार्क बी में परिवर्तन करके ए.बी.व सी बिन्दू के अनुसार परिवर्तित किया जावे। बिन्दू सं. बी से सी तक पहले जैसा ही है परिवर्तन मात्र ए से बी तक बिन्दू ए व बी के अनुसार किया गया है जो खसरा नं. 1699/870 व खसरा नं. 1698/870 के उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम परिवर्तन किया जाना न्यायोचित है। खसरा नं. 1699/870, 1698/870, 1689/870, 1693/926 के बीचो बीच खसरा नं. 922 जो नजरी नक्शा मार्क ए मे बिन्दू ए से बी तक रास्ता दर्शित किया है उसको हटाया जावे।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई । दौराने बहस वकील वादी ने अपने प्रा. पत्र का हवाला देते हुये तथा संलग्न नजरी नक्शों का अवलोकन करवाते हुये कथन किया की नजरी नक्शा मार्क ए से बी तक खसरा नं. 922 रकबा 0.04 है0 दर्शित है उसको नजरी नक्शा मार्क बी में परिवर्तन करके ए.बी.व सी बिन्दू के अनुसार परिवर्तित किया जावे। बिन्दू सं. बी से सी तक पहले जैसा ही है परिवर्तन मात्र ए से बी तक बिन्दू ए व बी के अनुसार किया गया है जो खसरा नं. 1699/870 व खसरा नं. 1698/870 के उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम परिवर्तन किया जाना न्यायोचित है। खसरा नं. 1699/870, 1698/870, 1689/870, 1693/926 के बीचो बीच खसरा नं. 922 जो नजरी नक्शा मार्क ए मे बिन्दू ए से बी तक रास्ता दर्शित किया है उसको हटाया जावे।

वकील वादी द्वारा प्रा. पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवेदक अपने प्रा. पत्र के जरिये नजरी नक्शा मार्क ए से बी तक खसरा नं. 922 रकबा 0.04 है0 दर्शित है उसको नजरी नक्शा मार्क बी में परिवर्तन करके ए.बी.व सी बिन्दू के अनुसार परिवर्तित करवाना चाहता है जो जो खसरा नं. 1699/870 व खसरा नं. 1698/870 के उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम रास्ता दर्ज करवाना चाहता है तथा खसरा नं. 1699/870, 1698/870, 1689/870, 1693/926 के बीचो बीच खसरा नं. 922 जो नजरी नक्शा मार्क ए मे बिन्दू ए से बी तक रास्ता दर्शित किया है उसको हटवाना चाहता है। उक्त परिवर्तन से प्रभावित खसरा नंम्बरान मे रकबे पर

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न नही होता है। रकबा खसरा नम्बरान का यथावत रहेगा तथा खातेदारी भी यथावत रहेगी।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र आपसी सहमति का तथा पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है। ग्राम बसावा पटवार हल्का बसावा की सरहद में स्थित भूमि मुताबिक प्रा. पत्र वकील वादी दिनांक 22.04.2025 के साथ सलंग्न नजरी नक्शा मार्क–ए, अनुसार बिन्दू सं. बी से ख.नं. 1698/870 की उत्तरी सीमा तक खसरा नं. 922 आंशिक का रकबा 0.04 है0 दर्शित है उसको नजरी नक्शा मार्क बी में परिवर्तन करके ए.बी.व सी बिन्दू के अनुसार परिवर्तित किये जाने के आदेश दिये जाते है। बिन्दू सं. बी से सी तक पहले जैसा ही है, परिवर्तन मात्र ए से बी तक, नक्शा मार्क–बी के बिन्दू ए व बी के अनुसार किया जावे। जो खसरा नं. 1699/870 व खसरा नं. 1698/870 के उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम तक कर दिया जावे। खसरा नं. 1699/870, 1698/870, 1689/870, 1693/926 के बीचो बीच खसरा नं. 922 का आंशिक भाग जिसका रकबा 0.04 है0 का है को नजरी नक्शा मार्क ए मे बिन्दू बी से ख.नं. 1698/870 की उत्तरी सीमा तक रास्ता दर्शित किया है उसको राजस्व रिकार्ड से हटा दिया जावे। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नजरी नक्शा मार्क –बी के अनुसार ख.नं. 922 में पूर्ण रकबे व बहिस्सा खातेदारी कायम कर दिया जावे। इस प्रकार से राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस दुरूस्त कर दिया जावे। उक्त आदेश के तहत किसी खसरा नम्बरान के रकबे में किसी प्रकार का परिवर्तन नही होगा। ख.न. 922 की खातेदारी व रकबा यथावत प्रा. पत्र के नजरी नक्शे मार्क –बी के अनुसार बिन्दू ए से बी तक 0.04 है तथा बिन्दू सं. बी से सी तक 0.08 है0 दर्ज होगी। आवेदक के प्रा. पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मार्क–ए के बिन्दू सी से ख.नं. 1698/870 की उत्तरी सीमा तक खसरा नं. 922 का आंशिक रकबा 0.04 है0 को राजस्व रिकार्ड व नक्सा ट्रेस से हजफ कर दिया जावे। सुलभ संदर्भ हेतु आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र दिनांक 22.04.2025 मय नजरी नक्शा मार्क–ए व मार्क–बी उक्त आदेश का भाग होगे।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुंनू